

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री देवेन्द्र पिता प्रभुलाल सालवी निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 276/25 (वाद) GCMS No. – 2025/654

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता तथा डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 186 पर दर्ज आराजी नम्बर 448 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम देवेन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति मेघवंशी दर्ज है के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादी की जाती सालवी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

